

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/सांविपदा-201/2024- /स्वा, पटना, दिनांक / /2025

डा० शीतांशु सौरभ, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मधुबनी के दिनांक-18.08.2022 से 05.01.2023 तक के प्रभार रहित अवधि को निम्नरूप में विनियमित किया जाता है:-

i.	दिनांक-18.08.2022 से 06.09.2022 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में ।
ii.	दिनांक-07.09.2022 से 14.09.2022 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-180)
iii.	दिनांक-15.09.2022 से 31.10.2022 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में ।
iv.	दिनांक-01.11.2022 से 10.11.2022 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-180)
v.	दिनांक-11.11.2022 से 30.12.2022 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में ।
vi.	दिनांक-31.12.2022 से 05.01.2023 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-180)

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/सांविपदा-201/2024 197(2) पटना, दिनांक 10 / 02 / 2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी/अधीक्षक, सदर अस्पताल, मधुबनी/कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी/डा० शीतांशु सौरभ, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मधुबनी/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।